भारत सरकार

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1524

दिनांक 8 दिसम्बर, 2015 को उत्तर दिए जाने के लिए

.....

ब्रह्मपुत्र क्रैकर्स एंड पॉलीमर्स लिमिटेड

1524. श्री कामाख्या प्रसाद तासा:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि लपेटकाटा, डिब्रूगढ़, असम में ब्रह्मपुत्र क्रैकर्स एंड पॉलीमर लिमिटेड की स्थापना पहले ही की जा चुकी है और इसके शुरू होने में विलंब हो रहा है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या इस परियोजना के शुरू होने में हुए विलंब की जांच करने के लिए किसी जांच आयोग का गठन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा विलंब के जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जाएगी;

(ग) क्या बीसीपीएल में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या बीसीपीएल की नियुक्ति प्रक्रिया में स्थानीय बेरोजगार युवाओं को प्राथमिकता दी गई थी/दी जाएगी और यदि नहीं, तो इसके क्या काराण हैं ?

<u>उत्तर</u>

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज गंगाराम अहिर)

(क) एवं (ख) : असम गैस क्रैकर परियोजना (एजीसीपी) मैसर्स ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर लि. (बीसीपीएल) द्वारा लपेटकाटा, डिब्रूगढ़, असम में स्थापित की जा रही हैं । आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने नवम्बर, 2011 में परियोजना को दिसंबर, 2013 तक चालू करने के लिए अनुमोदन दिया था । तथापि, चूंकि परियोजना को उपर्युक्त समय-सीमा के अनुसार पूरा नहीं किया जा सका, अत: विलंब के कारणों की जांच करने के लिए विभाग द्वारा एक स्थायी समिति अप्रैल, 2014 में गठित की गई थी । इस संबंध में समिति के निष्कर्ष निम्नलिखित हैं :

i. इंजीनियर्स इंडिया लि. (ईआईएल), इंजीनियरिंग और परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता (ईपीएमसी) द्वारा परियोजना के पर्याप्त और प्रभावी पर्यवेक्षण का अभाव;

ii. निर्माण कार्य के प्रयोजनार्थ रेत/मिट्टी का उपयोग करने के लिए सांविधिक प्राधिकारी (वन विभाग, असम सरकार) से अनुमति मिलने में विलंब;

iii. ठेकेदारों के सामने वित्तीय संकट;

iv. संसाधनों (जनशक्ति और मशीन) का अपर्याप्त संचालन;

v. ढांचे के निर्माण के लिए ठेकेदार द्वारा 650 एमटी क्रेन को जुटाने में विलंब;

vi. कच्चे माल की भंडारण क्षमता का कम आकलन;

vii. सामग्री के नि:शुल्क प्रेषण का न होना/कुप्रबंधन;

viii. बंद, हड़ताल, वर्षा आदि के कारण कार्य दिवसों की हानि;

ix. मैक्रोइकोनोमिक कारकों का कार्यान्वयन एजेंसी के नियंत्रण से बाहर होना;

x. प्रोत्साहनकर्ताओं, ईपीएमसी, कार्यान्वयन एजेंसी और फीडस्टॉक आपूर्ति कर्ताओं पर प्रशासनिक नियंत्रण का अभाव ।

इसके अलावा, सितम्बर, 2015 में, इथीलीन क्रैकर यूनिट (ईसीयू) में कोल्ड बॉक्स पैकेज के ऊपरी भाग से भारी रिसाव के कारण ईसीयू में सभी मौजूदा प्रचालन संबंधी क्रिया-कलापों के रिसाव को रोकने के लिए बंद करना पड़ा । तथापि, कोल्ड बॉक्स में रिसाव को ठीक करने का कार्य अब निष्पादित कर लिया गया है और इस समय परियोजना चालू करने के अंतिम स्तर पर है ।

(ग) : बीसीपीएल में 700 कर्मचारियों की कुल स्वीकृत संख्या में से, 566 कर्मचारियों की भर्ती की गई है और शेष की भर्ती का कार्य प्रगति पर है ।

(घ) : बीसीपीएल भर्ती के मामले में संवैधानिक प्रावधानों और राष्ट्रपति के निदेशों के द्वारा अभिशासित होती है । भारत के सभी नागरिकों को एक समान अवसर प्रदान किया जाता है जिनमें पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले स्थानीय लोग भी शामिल हैं । वर्तमान में, बीसीपीएल में भर्ती किए गए 566 कर्मचारियों में से गैर-कार्यपालक कैडर के मामले में लगभग 91% कर्मचारी हैं और कार्यपालक कैडर के मामले में लगभग 65% कर्मचारी असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र के हैं । इसके अलावा, औसतन लगभग 1600 श्रमिकों(कुशल, अर्धकुशल और अकुशल) को ठेके के आधार पर आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से परियोजना स्थल पर तैनात किए जाते हैं और उनमें से 95% से अधिक स्थानीय क्षेत्र के हैं ।

***